



विश्व मामलों की भारतीय परिषद

संयुक्त राष्ट्र

अंतर्राष्ट्रीय संबंधों तथा विदेश नीति में जेंडर को मुख्यधारा में लाने का मुख्य श्रोत

लक्ष्मी पुरी

संयुक्त राष्ट्र की पूर्व सहायक महासचिव तथा यूएन वीमेन की पूर्व उप कार्यकारी निदेशक; भारत की पूर्व राजदूत



सप्रू हाउस, नई दिल्ली

विश्व मामलों की भारतीय परिषद (ICWA) की स्थापना 1943 में सर तेज बहादुर सप्रू और डॉ. एच.एन. कुंजरू के नेतृत्व में प्रख्यात बुद्धिजीवियों के एक समूह ने की थी। इसका मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर भारतीय परिप्रेक्ष्य का निर्माण करना तथा विदेश नीति के मुद्दों पर ज्ञान एवं सोच के भंडार के रूप में कार्य करना था। 2001 में संसद के एक अधिनियम द्वारा, विश्व मामलों की भारतीय परिषद को राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित कर दिया गया है। परिषद आज आंतरिक संकाय के साथ-साथ बाहरी विशेषज्ञों के द्वारा नीति अनुसंधान का संचालन करती है। यह नियमित रूप से बौद्धिक गतिविधियों की श्रृंखला का आयोजन करती है जिनमें सम्मेलन, संगोष्ठियां, गोलमेज चर्चाएँ, व्याख्यान आदि शामिल हैं, और यह विविध प्रकार के प्रकाशन भी उपलब्ध कराती है। इसके पास एक समृद्ध पुस्तकालय है, एक सक्रिय वेबसाइट है, और यह 'इंडिया क्वार्टरली' पत्रिका प्रकाशित करती है। अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर बेहतर समझ को बढ़ावा देने और आपसी सहयोग के क्षेत्रों को विकसित करने के लिए आईसीडब्ल्यूए के पास अंतरराष्ट्रीय थिंक टैंक और अनुसंधान संस्थानों के साथ 50 से अधिक एमओयू हैं। परिषद की भारत की प्रमुख अनुसंधान संस्थानों, थिंक टैंकों और विश्वविद्यालयों के साथ भी साझेदारी है।

सार

संयुक्त राष्ट्र 21वीं सदी में मानव जाति की विकसित होती निष्पक्षता, लैंगिक समानता और न्याय-आधारित सभ्यतागत मूल्य प्रणाली का मूलभूत रक्षक और निर्धारक है। यूएन@75 की प्रमुख उपलब्धि यह है कि यह लैंगिक समानता के मानदंडों और मानकों का मुख्य श्रोत रहा है। अपनी स्थापना के बाद से ही, यह अंतरराष्ट्रीय संबंधों में लैंगिक समानता, महिला सशक्तीकरण और महिलाओं के मानवाधिकारों से संबंधित बहस का मंच रहा है। पिछले दस वर्षों से, यूएन वीमेन एकमात्र एकीकृत नारीवादी वैश्विक शासन इकाई रही है जिसने संस्थागत मशाल को उठाए रखा है। इसने संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के भीतर और बाहर लैंगिक समानता के वैश्विक, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय, स्थानीय मानदंडों, कानूनों, नीतियों और उपायों के एक नेक चक्र को बनाए रखा है जो सदस्य राज्यों, नागरिक समाज, अन्य नारीवादी सहयोगियों तथा हितधारकों के साथ मिलकर उनका कार्यान्वयन करता है। नारीवादी सिद्धांतों ने संयुक्त राष्ट्र की बहुपक्षीय प्रणाली में अंतरराष्ट्रीय संबंधों की लैंगिक व्याख्या के ज़रिये अपनी आवाज और मान्यता, गतिकी और पकड़ हासिल की है। यूएन वीमेन देशों और उनके क्षेत्रीय, अंतर-क्षेत्रीय, द्विपक्षीय और बहुपक्षीय समूहों के समर्थन में उत्प्रेरक के रूप में सामने आया है, जो एक नारीवादी विदेश नीति को आगे बढ़ाने के लिए, सभी संबंधित संस्थानों, परामर्शी संस्थानों, घोषणा पत्रों, सहयोग नीतियों और रणनीतियों में जेंडर को मुख्यधारा में लाने की वकालत करता है। यह पत्र संयुक्त राष्ट्र में लैंगिक समानता और महिला सशक्तीकरण के इतिहास पर नज़र डालता है और जेंडर को मुख्यधारा में लाने के लिए यूएन की विभिन्न पहलों की पड़ताल करता है जो विभिन्न अंतर-सरकारी समझौतों तथा संकल्पों में इसकी अवधारणा को संहिताबद्ध करते हैं। यह पत्र न्यू इंटरनेशनल फेमिनिस्ट ऑर्डर का केंद्र बनने के लिए यूएन वीमेन द्वारा निभाई गई भूमिका को भी चिह्नित करता है।

संकेत शब्द

संयुक्त राष्ट्र, यूएन वीमेन, लैंगिक समानता, महिला सशक्तीकरण, बीजिंग घोषणाएँ, डब्ल्यूपीएस, सतत विकास एजेंडा, उत्कृष्टता के 'षड गुण'

“कोई भी इंसान जो स्त्री और पुरुष की समानता और पूर्ण मानवता को स्वीकार करता है, वह नारीवादी है”- ग्लोरिया स्टिनेम

इसे रेखांकित करने के लिए किसी नारीवादी की आवश्यकता नहीं है, जैसा कि इतिहासकार युवल नोअह हरारी अपनी सैपियंस श्रृंखला में करते हैं, कि सभी ज्ञात मानव समाजों में सर्वोच्च महत्व का सत्ता अनुक्रम सदियों से पुरुष वर्चस्व के लैंगिक और जेंडर पदानुक्रम से तय होता आया है, जिसमें कुछ देश और समुदाय प्रासंगिक अपवाद के तौर पर हैं।¹ लैंगिक असमानता न केवल उनमें निहित है, बल्कि अब यह उनके लिए मानक भी बन गई है। हर क्षेत्र में महिलाओं के समान अधिकारों के लिए चल रहे वैश्विक नारीवादी आंदोलन ने इसे जगजाहिर कर दिया है, आक्रोश को भड़काया है और सभी लोगों के लिए लैंगिक तौर पर एक समान दुनिया पाने के लिए लक्ष्य और मानक निर्धारित किये हैं।

परिवारों, समाजों, अर्थव्यवस्थाओं और देशों के बीच, यहाँ तक कि अंतर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में भी सत्ता संबंध कम या अधिक, प्राचीन “पितृसत्तात्मक भाईचारा सिंड्रोम” द्वारा ही चिह्नित किये जाते हैं। सभी स्थानों पर पुरुषों की सत्ता पर पकड़ रही है और इसे पौरुष, पुरुष दुराग्रह और स्त्रियों के प्रति द्वेष की अलग-अलग डिग्री वाले पुरुष क्रम को बनाए रखने और उसे लागू करने के लिए एक साथ सजा दिया गया है। यही सहस्राब्दियों से महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ संरचनात्मक लैंगिक अन्याय और भेदभाव का स्रोत रहा है।

अपने इतिहास में लंबे समय तक, विशेष रूप से दूसरी लहर के ज़रिये, नारीवादी आंदोलन ने लैंगिक समानता हासिल करने के संघर्ष में “राजनीतिक होते हुए व्यक्तिगत और व्यक्तिगत होते हुए राजनीतिक”² के मंत्र को अपनाया है। इसका आधार यह है कि लैंगिक संबंध का तात्पर्य शक्ति संबंधों से है और इसलिए परिवार में बदलाव लाने के लिए महिलाओं के व्यक्तिगत अनुभवों का प्रयोग न केवल एक केंद्र और लॉन्चिंग पैड के रूप में किया जाना चाहिए बल्कि उसका दायरा एक प्रणालीगत और व्यवस्थित रूप से समुदाय, समाज, अर्थव्यवस्था और राजनीति तक बढ़ाया जाना चाहिए।

जहाँ स्थानीय, प्रांतीय और राष्ट्रीय स्थान नारीवादी संघर्ष के प्रारम्भिक थिएटर रहे हैं, वहीं नारीवादियों ने अंतरराष्ट्रीय फलक का दोहन करने की भी कोशिश की है। वैश्विक नारीवादी आंदोलन नारीवाद के इस अंतर्राष्ट्रीयकरण की अभिव्यक्ति है। सीमा पार बातचीत, वैचारिक संबद्धता, ज्ञान और अनुभव साझा करना, सामाजिक और राजनीतिक मानदंडों पर वकालत तथा साझे हित के विभिन्न क्षेत्रों में नीतियां, इसकी विशेषताएं हैं।

यह बदलाव वैश्विक रूप से विकसित पश्चिमी देशों के उत्तर से लेकर (उत्तरी अमेरिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया-न्यूजीलैंड) विकासशील देशों के दक्षिण यानि एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और कैरेबियाई देशों तक हुआ है। भारत औपनिवेशिक समय से इस वैश्विक नारीवादी आंदोलन का हिस्सा रहा है लेकिन 1970 के दशक से भारतीय नारीवाद ने उड़ान भरी और वैश्विक नारीवाद में एक महत्वपूर्ण और अनूठे तरीके से योगदान दिया।

ग्लोबल फेमिनिस्ट मूवमेंट (GFM) ने जेंडर समानता तथा महिला सशक्तिकरण (GEWE) के मार्ग की संरचनात्मक बाधाओं को तोड़ने और सरकारों की नीतियों एवं संस्थाओं को नारीवादी सिद्धांतों के आधार पर

फिर से आकार देने की मांग की है। इसने सभी आर्थिक, सामाजिक और शासन मानदंडों तथा सभी जगहों पर व्यक्तिगत एवं सामूहिक कार्रवाई के लिए जीईडब्ल्यूई (GEWE) को आधार बनाने का प्रयास किया है। फिर भी, संयुक्त राष्ट्र (U.N.) जैसे नारीवादी वैश्विक शासन संस्थान के बिना राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नारीवादियों की सीमा पार सक्रियता को अपेक्षित पकड़ और संस्थानीकरण नहीं मिल पाता।

बहुस्तरीय पितृसत्ता की बुराइयों को ठीक करने तथा लैंगिक समानता के एक नए सामान्य प्रारूप को वर्तमान आधार पर निर्मित करने के लिए, इसकी गहरी सभ्यतागत नींव को नष्ट करना महत्वपूर्ण है। संयुक्त राष्ट्र-जो 21वीं सदी में मानव जाति की विकसित होती निष्पक्षता, लैंगिक समानता और न्याय-आधारित सभ्यतागत मूल्य प्रणाली का मूलभूत रक्षक और निर्धारक है, ऐसा करने के लिए सर्वथा उपयुक्त है। यूएन@75 की प्रमुख उपलब्धि यह है कि यह लैंगिक समानता के मानदंडों और मानकों का मुख्य श्रोत रहा है। साथ ही, अपनी स्थापना के बाद से ही, यह अंतरराष्ट्रीय संबंधों में लैंगिक समानता, महिला सशक्तीकरण और महिलाओं के मानवाधिकारों से संबंधित बहस का मंच रहा है।

पिछले दस वर्षों से, यूएन वीमेन एकमात्र एकीकृत नारीवादी वैश्विक शासन इकाई रही है जिसने संस्थागत मशाल को उठाए रखा है। यह न केवल राष्ट्रीय नीतियों में, बल्कि सदस्य देशों की कूटनीति और विदेश नीति में भी जीईडब्ल्यूई (GEWE) पर वैश्विक मानदंडों के समावेशन में प्रभावशाली रहा है। इसने संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के भीतर और बाहर लैंगिक समानता के वैश्विक, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय, स्थानीय मानदंडों, कानूनों, नीतियों और उपायों के एक नेक चक्र को बनाए रखा है जो सदस्य राज्यों, नागरिक समाज, अन्य नारीवादी सहयोगियों तथा हितधारकों के साथ मिलकर उनका कार्यान्वयन करता है।

यद्यपि, एक आन्दोलन के रूप में "नारीवाद" का उदय पश्चिम में हुआ, परंतु भारत और दक्षिण एशियाई क्षेत्र में महिला आंदोलनों की एक समृद्ध परंपरा रही है। उनके पास घर में जन्मे नारीवादी विचार, राजनीतिक नेतृत्व, सामाजिक एवं पर्यावरण कार्यकर्ताओं के रोल मॉडल तथा नारीवादी अर्थशास्त्री छात्रवृत्ति तक रहे हैं। इसने जीईडब्ल्यूई (GEWE) के मानदंडों और मानकों, नरम कानूनों तथा विशेषकर यूएन में खेल के अंतरराष्ट्रीय नियमों के महत्वपूर्ण निकायों में प्रमुखता से योगदान दिया है।

नारीवादी सिद्धांतों ने संयुक्त राष्ट्र की बहुपक्षीय प्रणाली में अंतरराष्ट्रीय संबंधों की लैंगिक व्याख्या के ज़रिये अपनी आवाज और मान्यता, गतिकी और पकड़ हासिल की है। इसके प्रभाव में, विशेषकर पिछले 10 वर्षों में यूएन में नए वास्तविक अंतरराष्ट्रीय नारीवादी क्रम उभर रहे हैं, जो अलग-अलग समयों में स्त्री विरोध का प्रतिवाद कर रहे हैं। अब तक, मानवता के लिए यूएन की सभी चार परियोजनाओं- शांति एवं सुरक्षा, मानवाधिकार, सतत विकास तथा, मानवीय एवं आपदा प्रतिक्रिया- में लैंगिक समानता और महिला सशक्तीकरण को प्रमुखता से मुख्यधारा में रखा गया है।

अंतरराष्ट्रीय संबंधों के विभिन्न सिद्धांतों के साथ नारीवाद के मिलान को लेकर वर्षों से बहस होती आ रही है, लेकिन अभी से ज्यादा कभी नहीं हुई। यूएन के अपने मानदंडों, मानकों और अभ्यास, तथा सदस्य राज्यों की नीतियों से यह स्पष्ट है कि नारीवाद अधिक समावेशी और प्रभावी अंतरराष्ट्रीय संबंधों के लिए एक व्यापक पकड़ प्रदान करता है। इसलिए, अंतरराष्ट्रीय संबंधों के विभिन्न सिद्धांतों में जेंडर को मुख्यधारा में रखना न्यायोचित है- चाहे वे उदारवादी/आदर्शवादी हों, यथार्थवादी या कट्टरपंथी।

जीईडब्ल्यूई (GEWE) सिद्धांतों पर आधारित है, लेकिन साथ ही यह कठोर राष्ट्रीय हितों को भी शामिल करता है और इसे दोनों का सम्मिश्रण होना चाहिए। लैंगिक समानता को वास्तव में वैश्विक सार्वजनिक हित, निष्पक्षता तथा मानवाधिकार सिद्धांत के तौर पर सबसे ऊपर रखा गया है जिसे राज्यों को अपने हित में अपनाना चाहिए। समान रूप से, इसे नरम और कठोर शक्ति दोनों के स्रोत के रूप में माना गया है और यह मानवता की चार राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय परियोजनाओं की प्राप्ति तथा अन्य सार्वजनिक हितों की संपूर्ण श्रेणी के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं।

संयुक्त राष्ट्र में लैंगिक समानता तथा महिला सशक्तिकरण का इतिहास

ऐतिहासिक रूप से, महिलाएं संयुक्त राष्ट्र का हिस्सा रही हैं। इसकी शुरुआत के समय ही, डोमिनिकन गणराज्य की मिन्वा बर्नार्डिनो, ब्राजील की बर्था लुट्ज़ और उरुग्वे की इसाबेल डी विडाल ने संयुक्त राष्ट्र चार्टर में महिलाओं के अधिकारों को शामिल करने तथा सेक्स के आधार पर भेदभाव को समाप्त करने की वकालत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जो 1945 में पुरुषों और महिलाओं के समान अधिकारों को मान्यता देने वाला पहला अंतर्राष्ट्रीय समझौता बन गया।

1946 में, महिलाओं की स्थिति पर एक समर्पित आयोग (CSW) को आर्थिक एवं सामाजिक परिषद (ECOSOC) के एक अंग के रूप में स्थापित किया गया था।³ न्यूयॉर्क में वार्षिक तौर पर मिलते-मिलते, सीएसडब्ल्यू सदस्य देशों के साथ बातचीत और वैश्विक मानदंडों एवं मानकों को निर्धारित करने तथा एक-दूसरे के साथ सहयोग करने के लिए नीति निर्माताओं- महिला मामलों के मंत्रियों और अधिकारियों, नारीवादी कार्यकर्ताओं और निजी क्षेत्र, मीडिया एवं शिक्षाविदों जैसे अन्य हितधारकों- के लिए एक अनूठा और सबसे बड़ा वैश्विक मंच बन गया है। शुरुआत में यह महिलाओं की कानूनी स्थिति पर केन्द्रित था और इसने बड़ी संख्या में कानूनी रूप से बाध्य कन्वेंशनों को अपनाने का बीड़ा उठाया था:

- महिलाओं के राजनीतिक अधिकारों पर कन्वेंशन, 1951
- विवाहित महिलाओं की राष्ट्रीयता पर कन्वेंशन, 1957
- समान कार्य के लिए पुरुष और महिला श्रमिकों के लिए समान पारिश्रमिक पर कन्वेंशन, 1951
- विवाह पर सहमति, विवाह के लिए न्यूनतम आयु तथा विवाह पंजीकरण के लिए कन्वेंशन, 1962

सीएसडब्ल्यू (CSW) ने 1979 में महिलाओं के खिलाफ भेदभाव के सभी रूपों के उन्मूलन (CEDAW) के लिए ऐतिहासिक कन्वेंशन का बीजारोपण किया था। इसे महिलाओं के अधिकारों के अंतर्राष्ट्रीय बिल के तौर पर जाना जाता है। इसे वैश्विक तौर पर स्वीकृति मिली है और 193 में से 189 देशों ने इसका अनुमोदन किया है, जो इसे एक वैश्विक नारीवादी संविधान का गौरव प्रदान करता है। इसके प्रमुख प्रावधान महिलाओं के प्रति भेदभाव को परिभाषित करते हैं और कानून के समक्ष समानता को आश्वस्त करते हैं। साथ ही, सार्वजनिक एवं निजी, दोनों क्षेत्रों के सभी राजनीतिक, नागरिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों और स्तरों पर पहुँच, अवसर और परिणाम की वास्तविक समानता को सुनिश्चित करते हैं।⁴

सीईडीएडब्ल्यू (CEDAW) महिलाओं और पुरुषों के बीच वास्तविक समानता के उपायों को गति प्रदान करने के लिए अस्थायी विशिष्ट उपायों (जैसे संसदीय प्रतिनिधित्व में महिलाओं के लिए आरक्षण) का आह्वान करता है और उन्हें न्यायसंगत ठहराता है। यह आचरण के सामाजिक एवं सांस्कृतिक पैटर्न को संशोधित करने तथा पूर्वाग्रह और रुढ़िवादी प्रथाओं को समाप्त करने के महत्व पर बल देता है। यह महिलाओं और लड़कियों के सम्मान, सुरक्षा तथा मानवाधिकारों की पूर्ति के तीन सिद्धांतों का पालन करने के संबंध में लैंगिक समानता के लिए एक जीवनचक्रीय दृष्टिकोण और परस्पर प्रतिच्छेदी नजरिया रखता है। युनाइटेड नेशन्स कमिटी ऑन एलिमिनेशन ऑफ़ डिसक्रीमिनेशन अगेंस्ट वीमेन (सीईडीएडब्ल्यू कमिटी) का गठन 1982 में एक संधि निकाय के रूप में किया गया था, जो सीईडीएडब्ल्यू के प्रावधानों और इसके कार्यान्वयन की निगरानी के लिए जिम्मेदार थी। सदस्य राज्य समय-समय पर सीईडीएडब्ल्यू कमिटी को रिपोर्ट करते हैं और कई देश सदस्य राज्यों द्वारा प्रस्तुत इस रिपोर्ट को ज़मीनी स्तर पर ठोस समानता की ओर बढ़ने का बैरोमीटर मानते हैं। सीईडीएडब्ल्यू कमिटी अपने स्वयं के न्यायशास्त्र का भी सृजन करती है जिसे राष्ट्रीय और बहुराष्ट्रीय अदालतों में उद्धृत और स्वीकृत किया गया है।⁵

जेंडर को मुख्यधारा में लाने की अवधारणा

जेंडर को मुख्यधारा में लाने की लाभकारी नारीवादी अवधारणा को व्यवहार में लाने के लिए सरकारों, यहां तक कि निजी संस्थाओं को भी प्रेरित करने तथा अंतर-सरकारी समझौतों/संकल्पों को व्यवस्थित करने का श्रेय यूएन को दिया जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र ईसीओएसओसी (ECOSOC) संकल्प 1997/2 ने इसे इस तरह परिभाषित किया, "यह कानून, नीतियों या कार्यक्रमों सहित किसी भी नियोजित कार्रवाई के महिलाओं और पुरुषों के लिए निहितार्थ का आकलन करने की प्रक्रिया है, चाहे वह किसी भी क्षेत्र या स्तर का हो।"⁶

पुनः. जेंडर की मुख्यधारा की रणनीति के बारे में कहा गया है, "इसे महिलाओं के साथ-साथ पुरुषों से भी जोड़ना तथा नीतियों और कार्यक्रमों के डिजाइन, कार्यान्वयन, निगरानी एवं मूल्यांकन के अभिन्न आयामों का अनुभव करना। ऐसा सभी राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों में किया जाए ताकि महिलाओं और पुरुषों को समान रूप से लाभ हो और असमानता कायम नहीं रह सके। अंतिम लक्ष्य लैंगिक समानता हासिल करना है।"⁷

इसने संयुक्त राष्ट्र प्रणाली में लैंगिक दृष्टिकोण को मुख्य धारा में लाने के लिए सिद्धांत भी निर्धारित किए हैं। वह प्रणाली जिसमें संयुक्त राष्ट्र की 68 संस्थाएं/विभाग, एजेंसियां और ब्रेटन वुड्स संस्थान शामिल हैं। ये सिद्धांत राष्ट्रीय सरकारों पर भी लागू होते हैं- उनकी घरेलू और विदेशी नीतियों, सहायता एवं व्यापार रणनीतियों तथा द्विपक्षीय व बहुपक्षीय कूटनीति के सभी पहलुओं पर भी लागू होते हैं। वे सिद्धांत इस प्रकार हैं:⁸

- गतिविधि के सभी क्षेत्रों के मुद्दों में लैंगिक अंतर की पहचान होनी चाहिए और लैंगिक तटस्थता की धारणा नहीं बनाई जानी चाहिए।

- जेंडर को मुख्यधारा में लाने की जिम्मेदारी प्रणालीबद्ध है और उच्चतम स्तरों पर टिकी हुई है। परिणामों के लिए जवाबदेही पर लगातार नजर रखने की जरूरत है।
- जेंडर को मुख्यधारा में लाने के लिए जरूरी है कि निर्णय लेने के सभी स्तरों पर महिलाओं की भागीदारी को व्यापक बनाने के लिए हरसंभव प्रयास किया जाए।
- जेंडर को मुख्यधारा में लाने के कार्य को संयुक्त राष्ट्र प्रणाली/राष्ट्रीय सरकार, विदेश नीति की संस्थाओं के सभी हिस्सों में ठोस कदमों, तंत्रों, नीतियों, बजटों, निगरानी और प्रक्रियाओं के माध्यम से संस्थागत बनाना चाहिए।
- जेंडर की मुख्यधारा किसी तय, महिलाओं के लिए विशिष्ट नीतियों और कार्यक्रमों या सकारात्मक कानून की आवश्यकता को प्रतिस्थापित नहीं करती है, न ही यह लैंगिक इकाइयों या फोकल बिंदुओं के लिए विकल्प के तौर पर है।
- जेंडर की मुख्यधारा को व्यवहार में लाने के लिए स्पष्ट राजनीतिक इच्छा तथा पर्याप्त और, यदि आवश्यक हो, तो अतिरिक्त मानव एवं वित्तीय आवंटन महत्वपूर्ण है। और ऐसा सभी उपलब्ध धन स्रोतों से किया जाना चाहिए।

बीजिंग घोषणा तथा एक्शन के प्लेटफार्म

1975 से 1995 तक महिलाओं पर हुए चार विश्व सम्मेलन (मेक्सिको, कोपेनहेगन, नैरोबी)- तथा 'बीजिंग डिक्लेरेशन एंड प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन' (बीपीए) को अपनाने वाले अंतिम सम्मेलन- अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में जेंडर को मुख्यधारा में लाने का एक और प्रमुख स्रोत रहे हैं। प्रत्येक सम्मेलन ने इनके परिणाम दस्तावेजों को अपनाया जो मानदंडों और मानकों के एक प्रगतिशील निकाय का निर्माण करते हैं। बीपीए ने 12 गंभीर क्षेत्रों पर केंद्रित जीईडब्ल्यूई को प्राप्त करने के लिए नीतिगत सिफारिशें हैं- महिलाएं और गरीबी, औरतों के लिए शिक्षा और प्रशिक्षण, महिलाएं एवं स्वास्थ्य, महिलाओं के खिलाफ हिंसा, महिलाएं एवं सशस्त्र संघर्ष, महिलाएं और अर्थव्यवस्था, महिलाओं की उन्नति के लिए सत्ता और निर्णय लेने वाले संस्थागत तंत्र, महिलाओं के मानवाधिकार, महिलाएं और मीडिया, महिलाएं और पर्यावरण, तथा बालिका।⁹

बीपीए जो इस वर्ष 25 साल का हो गया, अभी भी एक नारीवादी स्वर्ण मानक बना हुआ है और राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय नीतियों में लैंगिक समानता पाने के लिए सरकारों एवं हितधारकों के लिए ब्लूप्रिंट है। अधिकांश देश बीपीए पर आधारित लैंगिक समानता की नीतियों को लागू करने में चौथाई सदी में हैं और उन्होंने पंचवार्षिक राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समीक्षाओं में भाग लिया है, जिनमें से एक हाल ही में 2020 में पूरा हुआ है।¹⁰

बीपीए ने विशेष रूप से जीईडब्ल्यूई की विदेश नीति के पहलू को संबोधित किया। उसने विश्व बैंक (WB), अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF), कृषि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोष और क्षेत्रीय विकास बैंक जैसे अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों को उनके अनुदानों की जांच करने और उन्हें अनुदान एवं ऋण आवंटित करने के लिए कहा। जिससे कि विकासशील देशों, विशेष रूप से अफ्रीका और न्यून विकसित देशों में प्लेटफार्म फॉर एक्शन को लागू किया जा सके।

यह स्वीकार करते हुए कि महिलाओं ने संघर्ष समाधान, शांति बहाली और रक्षा एवं विदेशी मामलों के तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, बीपीए कहता है कि "निर्णय लेने वाले पदों पर उनकी मौजूदगी अभी भी बहुत कम है" और "अगर महिलाएं शांति बहाली और उसे बनाए रखने में एक समान भूमिका निभा रही हैं, तो उन्हें राजनीतिक और आर्थिक रूप से सशक्त होना चाहिए और निर्णय लेने के सभी स्तरों पर उनका प्रतिनिधित्व होना चाहिए।"¹¹

वीमेन पीस एंड सिक्यूरिटी एजेंडा

इस पर काम करते हुए, अगला बड़ा कदम संयुक्त राष्ट्र में एक व्यवस्थित और प्रणालीगत लैंगिक दृष्टिकोण को अनिवार्य किये जाने की तरफ उठाया गया। इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के संघर्ष निवारण, शांति बहाली, शांति निर्माण, तथा हिंसक अतिवाद और आतंकवाद को रोकने और मुकाबला करने के प्रयास किये गए। वीमेन पीस एंड सिक्यूरिटी एजेंडा (डब्ल्यूपीएस) लैंडमार्क सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 1325 (2000) में निहित है और इसके अब तक नौ अनुवर्ती संकल्प हो चुके हैं। यह संयुक्त राष्ट्र की शांति और सुरक्षा संरचना, नीतियों और संचालन का एक अभिन्न अंग बन चुका है।

डब्ल्यूपीएस एजेंडा का निर्माण जीईडब्ल्यूई को बढ़ावा देने और इसे रोकथाम, बचाव, भागीदारी तथा राहत एवं सुधार के चार स्तंभों पर कायम रखने के लिए किया गया है।¹² अंतर्राष्ट्रीय मामलों और स्वीकृतियों में महिलाओं को शामिल किए जाने, उनकी आवाज बनने, भागीदारी और नेतृत्व में डब्ल्यूपीएस की उपलब्धि शानदार रही है। संघर्षों का उनपर भिन्न तरीके से और अक्सर असंगत रूप से प्रभाव पड़ता है जबकि एक स्थायी शांति और सुरक्षा की दिशा में उनका योगदान महत्वपूर्ण है।

सुरक्षा परिषद- जो कि संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च अंग है और जिसका काम वैश्विक शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखना है- अब एक नीति निर्माता के साथ-साथ संयुक्त राष्ट्र और सदस्य राज्यों द्वारा डब्ल्यूपीएस के कार्यान्वयन की निगरानी का काम भी करता है। अब तक 88 देशों ने डब्ल्यूपीएस पर राष्ट्रीय एक्शन प्लान को अपनाया है। नारीवादी दृष्टि के अनुरूप, डब्ल्यूपीएस लैंगिक समानता से संबंधित बहुपक्षीय और द्विपक्षीय कूटनीति के लिए एक महत्वपूर्ण बिंदु है, जो शांति बहाली के सबसे जरूरी क्षेत्रों में सुरक्षा का आश्वासन देता है, हिंसक चरमपंथ और मानवीय कार्रवाई से जुड़े संघर्षों का मुकाबला करता है।

राजीतिक अर्थव्यवस्था एवं विकास में जेंडर

इसी तरह, अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक अर्थव्यवस्था और विकास के स्त्रीवादी सिद्धांतों को संयुक्त राष्ट्र में मान्य किया गया है। 1960, 1970 और 1980 के दशक में यूएनसीटीएडी (UNCTAD) के तत्वावधान में उत्तर-दक्षिण विकास संवाद को आगे बढ़ाने वाली अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक अर्थव्यवस्था के सिद्धांतों की समानता अपरिहार्य है। रौल प्रीबिश के केन्द्रीय-परिधि और निर्भरता के सिद्धांत विकसित और विकासशील देशों के बीच उपनिवेश काल के बाद, उत्तर-दक्षिणी आर्थिक असमानता और विषमता वाले मैट्रिस से परे लागू होते हैं।

केन्द्रीय-परिधि मॉडल कहता है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था को आर्थिक केंद्रों या कोर के बीच संरचित संबंधों से जाना जाता है- जो कि सैन्य, राजनीतिक, प्रौद्योगिकी, वित्तीय और व्यापार शक्ति का उपयोग करके- अधीनस्थ परिधीय देशों से एक आर्थिक अधिशेष निकालता है। इस तर्क से, महिलाएं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था तथा श्रम और आय के विभाजन, दोनों की परिधि में रही हैं। यह राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, व्यापार, सहायता, वित्त और व्यापार में महिलाओं की अपर्याप्त और असमान भागीदारी और नेतृत्व में परिलक्षित होता है।

इथियोपिया के अदीस अबाबा में 13-16 जुलाई 2015 तक विकास के लिए वित्त पर आयोजित तीसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान अपनाए गए अदीस अबाबा एक्शन एजेंडा में अर्थव्यवस्था में महिलाओं के "परिधीकरण" को स्वीकृत किया गया था। इसने इस बात की पुष्टि कर दी कि निरंतर आर्थिक प्रगति और सतत विकास प्राप्त करने के लिए लैंगिक समानता, सभी महिलाओं और लड़कियों का सशक्तिकरण, और उनके मानवाधिकारों की पूर्ण प्राप्ति आवश्यक है।¹³ इसने मुख्यधारा में जेंडर को लाने के साथ-साथ सभी प्रकार के वित्तीय, आर्थिक, पर्यावरणीय तथा सामाजिक नीतियों के निर्माण और कार्यान्वयन में निवेश तथा निर्धारित कार्यों को पूरा करने की आवश्यकता को दोहराया।¹⁴

एक्शन एजेंडा ने सदस्य राज्यों को फिर से प्रतिबद्ध किया कि वे परिवर्तनकारी कार्यों और बाध्यकारी कानूनों तथा बेहतर नीतियों को अपनाएं और उन्हें सुदृढ़ करें ताकि, "सभी स्तरों पर महिलाओं और बालिकाओं के सशक्तिकरण तथा लैंगिक समानता को बढ़ावा दिया जा सके। औरतों के समान अधिकारों की रक्षा हो सके, तथा अर्थव्यवस्था में उनकी भागीदारी और नेतृत्व तक पहुँच और अवसर को सुनिश्चित किया जा सके और लिंग आधारित हिंसा व भेदभाव को सभी रूपों में खत्म किया जा सके।"¹⁵

सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा: लैंगिक समानता का परिवर्तनकारी लक्ष्य

जीईडब्ल्यूई को ऐतिहासिक व सतत विकास हासिल करने के लिए वैश्विक और जेंडर उत्तरदायी 2030 एजेंडा के ज़रिये यूएन तथा ब्रेटन वुड्स इंस्टिट्यूट के विकास सांचे के केंद्र में रखा गया है। यह एजेंडा 17 सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को निर्धारित करता है जिसमें मानवता के लिए आर्थिक, सामाजिक तथा पर्यावरणीय लक्ष्यों के साथ-साथ लैंगिक समानता प्राप्त करने के एक परिवर्तनकारी एसडीजी 5 और सभी महिलाओं और बालिकाओं को सशक्त बनाने तथा पूरक जेंडर उत्तरदायी लक्ष्य के 11 एसडीजी शामिल हैं।¹⁶

मुख्यधारा में जेंडर 2030 एजेंडा¹⁷ और एसडीजी 5 तथा इसके 9 लक्ष्य पथप्रवर्तक हैं।¹⁸ लैंगिक समानता का लक्ष्य हर महिला और बालिका से एक वादा है कि उन्हें उनकी भिन्न पहचान और स्थिति से प्रभावित हुए बिना उनकी क्षमता का पूर्ण इस्तेमाल करने में सक्षम बनाया जाएगा। इसके 9 लक्ष्य भौतिक एकजुटता, आवाज़ और पसंद के मुद्दों को उठाते हैं। लैंगिक समानता के लक्ष्य न केवल किसी एक व्यक्ति और परिवार अथवा समुदाय तथा देश के लिए बल्कि पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए भी अंतर्राष्ट्रीय सतत विकास के लक्ष्य बन चुके हैं। व्यक्तिगत अब वाकई राजनीतिक बन चुका है, स्थानीय वैश्विक बन चुका है और वैश्विक स्थानीय की ओर प्रेरित हो रहा है।

महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन से लेकर, जल्द विवाह और बाल विवाह जैसी हानिकारक प्रथाओं को समाप्त करने तक; और अवैतनिक देखभाल व घरेलू कामों को पहचानने और महत्व देने तक जो असमान रूप से महिलाओं के जिम्मे आ जाती हैं तथा सार्वजनिक सेवाओं, बुनियादी ढांचे और सामाजिक सुरक्षा नीतियों को प्रदान करने; आर्थिक एवं सार्वजनिक जीवन में समान भागीदारी और नेतृत्व; यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य और प्रजनन अधिकार; आर्थिक, तकनीकी और वित्तीय संसाधनों पर समान पहुंच, स्वामित्व और नियंत्रण; और लिंग आधारित भेदभाव को समाप्त करने के लिए व्यापक कानूनी और नीतिगत सुधार तक- सरकारें अब राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इन लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

यूएन वीमेन- नए अंतरराष्ट्रीय नारीवादी क्रम की धुरी

यूएन वीमेन नए अंतरराष्ट्रीय नारीवादी क्रम का आधार बन गया है। 2010 में अपने निर्माण के बाद से, इसने जीईडब्ल्यूई से संबंधित वैश्विक बातचीत, अंतरराष्ट्रीय संबंधों और कूटनीति को आगे बढ़ाया है, तथा छह गुणों या उत्कृष्टता के षड गुणों की प्राप्ति के लिए प्रयास किया है।

पहला गुण लैंगिक समानता, वैश्विक शासन और संस्थागत संरचना पर आधारित यूएन वीमेन के निर्माण से संबंधित है जो- शक्ति या रचनात्मक ऊर्जा का स्थल है। यह इतिहास के किसी भी अन्य संस्थान की तुलना में कहीं अधिक एकीकृत, सुदृढ़, बहु-क्षेत्रीय और एक केंद्रित तथा व्यापक जीईडब्ल्यूई को बढ़ावा देने के लिए सुसज्जित है। यह सदस्य राज्यों के महिला मामलों के मंत्रालयों को सशक्त बनाने और उनके बीच संवाद की एक धुरी है। यूएन वीमेन सभी प्रमुख संस्थानों के लिए एक उत्प्रेरक रहा है- चाहे वह सार्वजनिक हो या निजी, विदेश मंत्रालय हो या वित्त मंत्रालय। यूएन वीमेन एक भंडार भी है और यह अन्य पांच गुणों को विकिरणित करता है।

यूएन प्रणाली: जेंडर समानता के एजेंडा को पूरा करना

दूसरा गुण- बल- शक्ति के गुणक का गुण है। यूएन वीमेन ने अपने यूएन प्रणाली समन्वय कार्यों से ये सुनिश्चित किया है कि वैश्विक, क्षेत्रीय और देश के स्तर पर आईएमएफ/डब्ल्यूबी/डब्ल्यूटीओ सहित संयुक्त राष्ट्र प्रणाली की लगभग सभी 68 संस्थाओं/एजेंसियों और विभागों द्वारा लैंगिक समानता और महिला सशक्तीकरण से जुड़ी नीतियों, कार्यक्रमों और जवाबदेही ढाँचे को अपनाया जाए।

ये साथ मिलकर जीईडब्ल्यूई से लैस एक यूनिवर्स का निर्माण करते हैं, जो महिलाओं और बालिकाओं को सशक्त बनाने के क्रम में वैश्विक सार्वजनिक हित पर प्रभाव का पता लगाते हैं- चाहे वह स्वास्थ्य हो या शिक्षा। एक अन्य महत्वपूर्ण प्रतिबद्धता यूएन प्रणाली में हर स्तर पर लैंगिक समता को प्राप्त करना है, उच्चस्थ पदों पर बहाली से लेकर नेतृत्व तक, जहाँ उल्लेखनीय प्रगति हुई है। यूनाइटेड नेशन सिस्टम में महिलाओं की स्थिति पर महासचिव की नवीनतम रिपोर्ट बताती है कि संयुक्त राष्ट्र के उच्चतम- यूएसजी/एएसजी स्तरों और संयुक्त

राष्ट्र के समन्वयकों के बीच लैंगिक समानता को प्राप्त किया गया है- हालांकि डी1 से लेकर यूएसजी स्तर तक केवल 34% ही महिलाएं हैं, जो शुरुआत के स्तर से 58% नीचे हो गया है।¹⁹

इंटरनेशनल जेंडर इक्वलिटी कॉम्पैक्ट को अपनाना और कार्यान्वित करना

तीसरा गुण- *वीर्यम*- एक परिवर्तनकारी और "नए साहसी" वैश्विक मानदंडों और मानकों को स्थापित करने की गुणवत्ता है। सीईडीएडब्ल्यू और बीपीए के अलावा, मानकों के जीईडब्ल्यूई "मदरबोर्ड" को ऐतिहासिक प्रस्तावों के माध्यम से मजबूत किया गया है- महिलाओं की स्थिति पर आयोग, संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA), ईसीओएसओसी (ECOSOC), सुरक्षा परिषद और सीईडीएडब्ल्यू समिति के अधिकार क्षेत्र द्वारा- जो अंतर्राष्ट्रीय नरम कानून और अभ्यास की जीईडब्ल्यूई निकाय को विस्तृत और गहन बनाता है। सतत विकास लक्ष्य 5 और 11 एसडीजी के अन्य सभी जेंडर-उत्तरदायी लक्ष्य एक जेंडर इक्वलिटी कॉम्पैक्ट का गठन करते हैं।

कॉम्पैक्ट बीपीए और सीईडीएडब्ल्यू को स्थायी विकास के लिए मूलभूत ढांचे के रूप में स्वीकार करता है। रियो प्लस 20, अदीस अबाबा एक्शन एजेंडा, पेरिस समझौता, न्यू अर्बन एजेंडा, वर्ल्ड समिट ऑन द इन्फॉर्मेशन सोसाइटी (डब्लूएसआईएस) और सैंडाइ फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के प्रमुख वैश्विक समझौतों को अतिरिक्त रूप से संलग्न किया गया है और अब ये जेंडर इक्वलिटी कॉम्पैक्ट का हिस्सा हैं। कॉम्पैक्ट महिलाओं के अधिकारों और सशक्तिकरण में स्थायी बदलाव लाने के लिए एक वास्तविक अवसर और जरूरत प्रदान करता है।

2015 के बाद से, "कार्यान्वयन के मानदंड" को बनाए रखने को प्राथमिकता दी जाती रही है। हालांकि, यूएन वीमेन के तहत बीपीए द्वारा हाल ही में किए गए वैश्विक, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय समीक्षाओं में जो संकेत मिले हैं, उसके मुताबिक, कार्यान्वयन में लगभग हर क्षेत्र में बहुत अंतर है, और इसकी प्रगति धीमी और असमान है। इस दर से, 2030 तक तो छोड़ दें, इस सदी में भी लैंगिक समानता को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इसलिए, एसडीजी और जेंडर इक्वलिटी कॉम्पैक्ट के जेंडर उत्तरदायी कार्यान्वयन को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, वो भी बहु-क्षेत्रीय और बहुस्तरीय दृष्टिकोण के द्वारा समग्र तथा एकीकृत तरीके से। कानूनों में सुधार लाकर और उन्हें अपनाकर, नीतियों और उपायों द्वारा, जिनमें विशेष उपाय और कार्य शामिल हैं, भेदभावपूर्ण कानूनों और नीतियों को हटाकर, और उनका पूर्ण, प्रभावी और त्वरित कार्यान्वयन सुनिश्चित कर वैश्विक मानकों का स्थानीयकरण करना आवश्यक है।

पिछले 25 वर्षों में उल्लेखनीय प्रगति के बावजूद, हमें पुराने और नए, तथा सांस्कृतिक रूप से चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों में आगे बढ़ना जारी रखना चाहिए। लैंगिक समानता को अगले स्तर तक ले जाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) सहित राजनीतिक, सामाजिक, वैज्ञानिक व तकनीकी नवाचारों को आगे बढ़ाना महत्वपूर्ण है। ये नवाचार हस्तक्षेप की क्षमता और प्रभाव को बढ़ा सकते हैं, ज्ञान संग्रह के साधन तथा जीईडब्ल्यूई कॉम्पैक्ट के प्रसार और कार्यान्वयन को बढ़ा सकते हैं। पुराने

मीडिया और सोशल मीडिया का उपयोग करने के नए तरीकों सहित संचार में नवाचार, अभिनव भागीदारी, प्रचार के प्लेटफार्म और अभियान सबसे आवश्यक सक्षम बनाने वाले कारक हैं।

गेम चेंजर को संगठित करना और आन्दोलन का निर्माण करना

चौथा गुण- *ऐश्वर्य* प्रचार, आन्दोलन निर्माण और विविध हितधारकों के साथ महिला आंदोलनों की साझेदारी के द्वारा मुख्य घटकों की सम्पत्ति और संगठनात्मक संपत्ति का इस्तेमाल करने के बारे में है। यह मुख्य हितधारकों और गेम चेंजर की शक्ति का प्रयोग लैंगिक समानता के लिए करने के बारे में है, जिसमें पुरुष और लड़के, युवा, मीडिया, निजी क्षेत्र, विश्वास आधारित संगठन, अन्य विकास, पर्यावरण/जलवायु परिवर्तन और मानवाधिकार सीएसओ के साथ महिला आन्दोलन और नागरिक समाज केंद्र में हैं।

जीईडब्ल्यूई जितनी एक मनोसामाजिक परियोजना है उतनी ही एक राजनीतिक और आर्थिक परियोजना भी है। यह सम्मिश्रण भेदभावपूर्ण सामाजिक मानदंडों, हानिकारक प्रथाओं और पितृसत्तात्मक संरचनाओं को खत्म करने के लिए आवश्यक है जो जीईडब्ल्यूई के तेजी से रूपांतरण को रोकते हैं। लैंगिक तौर पर असमान सामाजिक मानदंडों को बदलना और सभी महिलाओं और लड़कियों की जरूरतों को पूरा करना अनिवार्य है। यह विशेषकर उनके लिए अनिवार्य है जो जाति, जातीयता, धर्म, ग्रामीण-शहरी विभाजन, विकलांगता, गरीबी, जाति और वर्ग के आधार पर भेदभाव का सामना करते हैं और हाशिए पर धकेल दिए जाते हैं। यूएन वीमेन के अंतर्राष्ट्रीय समर्थन अभियानों के उदाहरणों में सफल हीफॉरशी, स्टेप इट अप फॉर जेंडर इक्वलिटी, प्लैनेट 50-50, अनस्टीरियोटाइप एलायंस, जनरेशन इक्वेलिटी फ़ोरम, स्टॉक एक्सचेंज में रिंग द बेल फॉर जेंडर इक्वलिटी, निजी क्षेत्र के लिए महिला सशक्तिकरण सिद्धांत, युवाओं के लिए लीप (LEAP) और लैंगिक समानता के लिए इंटरफेथ एलायंस शामिल हैं। ये कई अलग-अलग मोर्चों पर सफल रहे हैं।

ज्ञान एवं वकालत हब

पाँचवाँ गुण- *सर्वज्ञान* सर्वज्ञता का गुण है। यूएन वीमेन जीईडब्ल्यूई से जुड़ी जानकारियों, ज्ञान तथा टी.एस.एलियट की ज्ञानशक्ति के पदानुक्रम का सही उपयोग करने की बुद्धिमता पाने के लिए वन स्टॉप सेंटर है। व्यापक तौर पर लैंगिक समानता तथा महिलाओं के सशक्तीकरण से संबंधित डेटा, सांख्यिकी, संकेतक, निगरानी प्रणाली, रूपरेखा और एसडीजी कार्यान्वयन की क्षमता उत्पन्न करना पहले से ही अपेक्षित है। प्रगति, अंतराल, और नीतियों एवं कार्यों का मार्गदर्शन करने के लिए सभी स्तरों पर क्रियान्वयन और समीक्षा इसकी कुंजी है।

एसडीजी पर ग्लोबल इंडिकेटर फ्रेमवर्क में लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण के 50 ऐसे संकेतक हैं जिनके लिए लैंगिक सांख्यिकी क्रांति और समर्थन की आवश्यकता है। सबसे पहले शुरुआत तो जेंडर डाटा में अंतर को खत्म करने से करनी होगी- यानि "महिलाओं को गिनती में लाना" होगा- और इसके लिए मामले को इस तरह बनाना होगा जो ये बता सके कि जीईडब्ल्यूई राष्ट्रीय हित और विदेश नीति के लिए मायने क्यों रखता है, विभिन्न क्षेत्रों/सेक्टरों में इसका गठन क्यों होता है और उस मंजिल तक पहुँचने के लिए देश खुद को किस

तरह स्पष्ट और व्यवस्थित कर सकते हैं। ऐसे में क्या काम करता है, और क्या नहीं करता है, इसे समझने के लिए ज्ञान और सर्वोत्तम प्रचलनों का केंद्र बनना जरूरी है। भारत जैसे राष्ट्रीय भागीदारों के साथ मिलकर, जो क्षेत्रीय सहयोग के नेता भी हो सकते हैं, एक वैश्विक वेधशाला और जीईडब्ल्यूई से संबंधित ज्ञान का आदान-प्रदान और रिसर्च एंड डेटा (R&D) मंच बनाना आदर्श है।

परम्परावादी नारीवादियों ने जीईडब्ल्यूई के लिए सहायक बहस या निजी क्षेत्र के साथ काम करने के लिए महत्वपूर्ण तर्क देने में हिचकिचाहट दिखाई है। राजनीतिक और कॉर्पोरेट नेताओं या जनमत निर्माताओं की सोच में बदलाव लाने के लिए, दोनों ही पहलुओं को उजागर करने की जरूरत है- सही काम करना- क्योंकि यह लैंगिक न्याय है और- स्मार्ट काम करना- क्योंकि यह सामाजिक, आर्थिक, लोकतांत्रिक और प्रभावी शासन एवं लाभ के लिए कार्य करता है।

मैकिन्से ने एक अध्ययन में कहा है कि लैंगिक समानता के द्वारा 2025 तक वैश्विक जीडीपी में 12-18 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर- और अधिक समान भारत में 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक की वृद्धि हो सकती है।²⁰ लैंगिक समानता के कॉर्पोरेट लाभों को देखते हुए यह अध्ययन राजनीतिक नेताओं के लिए प्रेरक तर्क हैं। पैसा वास्तव में गिरता है और, जैसा कि अमर्त्य सेन कहते हैं, जीईडब्ल्यूई के आर्थिक और गरीबी उन्मूलन के लाभ बहुत आसान हैं।

संस्थानों, संसाधनों और कार्यक्रमों की शक्ति को प्रज्ज्वलित करना

छठा गुण- *तेजस*- संस्थानों और संसाधनों की शक्ति को प्रज्ज्वलित करने के बारे में है। लैंगिक समानता और महिला सशक्तीकरण संस्थानों को वैश्विक, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और स्थानीय सभी स्तरों पर समर्पित, सशक्त और संसाधनयुक्त बनाना सबसे महत्वपूर्ण है। समान रूप से यह सुनिश्चित करना भी महत्वपूर्ण है कि सभी प्रमुख संस्थान- राजनीतिक, आर्थिक, न्यायिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, अवसंरचनात्मक और सार्वजनिक सेवाएं, विदेश नीति संबंधी आदि- जेंडर उत्तरदायी तरीके से काम करें। सभी स्रोतों से वित्तीय निवेश और संसाधन में उल्लेखनीय वृद्धि, आधिकारिक विकास सहायता (ODA), सभी स्तरों- लक्षित और मुख्यधारा- पर लैंगिक समानता के अंतर को खत्म करने के लिए परिवर्तनकारी कार्यों का किया जाना लैंगिक समानता के इंजन के लिए ईंधन की तरह है। संसाधन जुटाने के काम में गति लाना और संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रमों के प्रभाव को धरातल पर लाने की जरूरत है।

यूएन कोर क्षेत्रों में दानदाता राज्यों और लाभुकों के साथ मिलकर काम करता है। वे महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण, महिला, शांति एवं सुरक्षा, राजनीतिक भागीदारी और नेतृत्व, स्त्रियों के खिलाफ हिंसा को समाप्त करने, जेंडर के लिए उत्तरदायी बजट और अंतरराष्ट्रीय विकास सहायता जैसे क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग के पूरक के तौर पर हैं। एक अन्य पहलू जेंडर उत्तरदायी कूटनीति में प्रशिक्षण है- चाहे वो द्विपक्षीय हो या बहुपक्षीय- और विशेष क्षेत्रों में महिला राजनयिकों के लिए क्षमता निर्माण है, जो किसी भी देश की विदेश नीति की कुंजी हैं जिसमें व्यापार, आर्थिक, वित्त, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन, सांस्कृतिक, सामाजिक, तकनीकी सहयोग, निरस्त्रीकरण, दूसरों के बीच शांति बहाली और शांति का निर्माण शामिल हैं।

जैसा कि यूएन वीमेन ने मांग की है- दूसरे और तीसरे ट्रैक की कूटनीति की महिलाओं को शामिल करना भी जरूरी है, चाहे वो किसी मिश्रित समूह से हों या भिन्न समूह से, जैसे कि, अफगानिस्तान, सीरिया या कोलंबिया और जी20 वीमेन इंगेजमेंट ग्रुप। यह मुख्य वार्ता की मेज पर उनके होने के विकल्प के रूप में नहीं, बल्कि उनके चुने जाने का महत्व एक तैयारी और मजबूत भूमिका में भी है।

क्षेत्रीय, अंतरक्षेत्रीय, द्विपक्षीय, बहुपक्षीय जेंडर कूटनीति में उत्प्रेरक के तौर पर यूएन

यूएन वीमेन ने व्यक्तिगत देशों और उनके उत्तर-दक्षिण, उत्तर-उत्तर और दक्षिण-दक्षिण, उप-क्षेत्रीय, क्षेत्रीय और अंतर-क्षेत्रीय समूहों को प्रोत्साहित और समर्थन किया है, कि वे एक नारीवादी विदेश नीति को आगे बढ़ाएं, और सभी प्रासंगिक संस्थानों, परामर्शों, घोषणाओं, सहयोग नीतियों, योजनाओं, कार्यक्रमों और रणनीतियों में मुख्यधारा में जेंडर के लिए वकालत करें।

एक बड़ी सफलता में, यूएन वीमेन ने 2014 में बोलीविया की मेजबानी में आयोजित विशेष सम्मेलन में जी77 को जीईडब्ल्यूई पर घोषणापत्र को अपनाने के लिए राजी कर लिया था²¹- इसके 50 साल के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ था और यह सांताक्रूज शिखर सम्मेलन के घोषणा पत्र में परिलक्षित हुआ।²² यूएन वीमेन के सहयोग से, एलडीसी के लिए इस्तांबुल प्रोग्राम ऑफ एक्शन 2011 ने लैंगिक समानता को विकास की मुख्य प्राथमिकता के तौर पर पहचाना था। ऐसा ही कुछ स्माल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट कांफ्रेंस- सामोआ पाथवे में भी हुआ। 2014 में, यूएन वीमेन ने तुर्की के साथ काम किया, 2015 में जी20 की मेजबानी की ताकि वीमेंस इंगेजमेंट ग्रुप- वीमेन 20- को लॉन्च किया जा सके और इसके अपने वार्षिक शिखर सम्मेलन को आयोजित किया जा सके। इसने जी20 शिखर सम्मेलन में कार्रवाई योग्य घोषणाओं को जारी किया।²³ यूएन वीमेन ने जी7 के प्रतिपादन का भी समर्थन किया- जो जर्मनी में 2015 में एक वीमेन फोरम, 2017 में जेंडर उत्तरदायी आर्थिक पर्यावरण के लिए जी7 रोडमैप, 2018 में जी7 लैंगिक समानता सलाहकार परिषद के गठन और 2019 में जीईडब्ल्यूई पर वैश्विक गठबंधन के लिए साझेदारी पर बिअरिंज घोषणा के साथ शुरू हुआ था।

ओईसीडी ने विकास सहायता, टूलकिट, मार्कर, नीति समीक्षा और अन्य के आधार पर निर्मित लैंगिक समानता को लेकर विकास सहायता समिति के दिशा-निर्देशों को विकसित किया है। यूएन वीमेन ने लक्षित समर्पित जेंडर कार्यक्रमों के लिए विशिष्ट परामर्श, पारस्परिक प्रभाव और द्विपक्षीय सहयोग व्यवस्था को प्रोत्साहित किया है। इसका मकसद वित्तपोषण, प्रतिच्छेदी सहयोग कार्यक्रमों में मुख्यधारा में जेंडर को लाना तथा जीईडब्ल्यूई नीति के अनुपालन को लाभार्थी देशों के लिए प्रोत्साहन के रूप में विकसित करना है।

एशियाई उप-क्षेत्रीय मंच, जैसे सार्क, यूएन वीमेन, और उसके पूर्ववर्ती संगठन सार्क सचिवालय के साथ साझेदारी में काम करते रहे हैं, ताकि पूरे सम्बंधित क्षेत्र में जेंडर के दृष्टिकोण को मुख्यधारा में लाया जा सके। इसकी सभी नीतियों और कार्यक्रमों में, संगठनात्मक प्रक्रियाओं में, और लैंगिक समानता तथा महिला सशक्तिकरण से जुड़े सहयोगात्मक हस्तक्षेप में भी जेंडर को मुख्यधारा में स्थापित किया जा सके। यूएन वीमेन ने 2016 में सार्क की लैंगिक नीति एवं सलाहकार समूह (GPAG) के गठन का भी समर्थन किया है जिसने दक्षिण एशिया में महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को प्राथमिकता के रूप में पहचाना और सार्क की तीन वर्षीय जेंडर कार्य योजना का मसौदा तैयार करने में मदद की है।

यूएन वीमेन ने 2021-2025 की नई यूएन-आसियान योजना को अंतिम रूप देने में योगदान दिया है, जिसमें जेंडर आसियान के सभी तीन सामुदायिक स्तंभों में एक प्रमुख क्रॉस-कटिंग प्राथमिकता है और इसने डब्ल्यूपीएस को पहली बार सफलतापूर्वक राजनीतिक सुरक्षा स्तंभ में डाल दिया है। यह आपदा प्रबंधन और आपातकालीन प्रतिक्रिया (AADMER) 2021-2025 पर नए, कानूनी रूप से बाध्य आसियान समझौते को अंतिम रूप देने के लिए आसियान के समर्थन में भी सबसे आगे रहा है। यह महिलाओं के क्षेत्रीय निकायों (ACW और ACWC) के साथ जुड़ा है ताकि वे आसियान दृष्टि 2025 के साथ जुड़ने के लिए आसियान प्राथमिकताओं में जेंडर को एकीकृत करने के लिए संस्थागत क्षमता का निर्माण कर सकें। मुख्य रणनीतिक अध्ययन में शामिल हैं- आसियान जेंडर आउटलुक: एसडीजी की उपलब्धियों को गति प्रदान करना।

यूएन वीमेन नियमित रूप से इस बात की निगरानी करता है कि जीईडब्ल्यूई की बढ़ी हुई एचओएस/जी चैंपियनशिप पश्चिमी समूहों से परे होने वाले यूएनजीए भाषणों में किस प्रकार परिलक्षित होती है। पिछले कुछ वर्षों से, अधिक से अधिक राष्ट्राध्यक्ष और सरकार अपनी घरेलू और विदेश नीति में लैंगिक समानता का उल्लेख प्राथमिकता के तौर पर करते हैं। नारीवाद के विचार ने विकासशील देशों के साथ, विशेष रूप से नॉर्डिक्स/यूरोपीय संघ के साथ द्विपक्षीय और बहुपक्षीय कूटनीति में प्रवेश किया है, जिसमें सहायता, मानवाधिकार, आर्थिक, राजनयिक और सुरक्षा संवाद और सहयोग शामिल हैं।

पहले लैंगिक समानता शिखर सम्मेलन का ऐतिहासिक महत्व

एशिया में, जापानी प्रधानमंत्री शिंजो आबे और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने यूएन वीमेन के साथ साझेदारी में उच्च प्रोफाइल वाले वैश्विक चैंपियन की भूमिका निभाई। दक्षिण एशिया में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हीफॉरशी के लिए और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना प्लेनेट 50-50 के लिए जीईडब्ल्यूई की वैश्विक चैंपियनशिप में उल्लेखनीय नाम रहे हैं। इस जुटान की पराकाष्ठा यह है कि दुनिया भर के सभी देशों के शीर्ष राजनीतिक नेतृत्व, ज्यादातर पुरुष, *जेंडर इक्वैलिटी एंड वीमेन एम्पावरमेंट: अ कमिटमेंट टू एक्शन पर विश्व नेतृत्व की पहली बैठक*²⁴ में शामिल थे, जिसमें 70 राष्ट्र और राज्यों के प्रमुख मौजूद थे, 165 देशों की सरकारों ने सितंबर 2015 में ग्लोबल जेंडर इक्वैलिटी कॉम्पैक्ट को लागू करने के लिए प्रतिबद्धता जताई।

इसके परिणामस्वरूप जीईडब्ल्यूई के एजेंडे के लिए उच्चतम स्तर पर अभूतपूर्व राजनीतिक समर्थन मिला। इससे पहले राज्य और सरकार के प्रमुखों ने मिलकर लैंगिक समानता के लिए कभी इतनी मजबूत और असाधारण प्रतिबद्धता नहीं दिखाई थी। उन्होंने बीजिंग प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन के पूर्ण कार्यान्वयन, और सतत विकास के 2030 एजेंडा में उल्लिखित लैंगिक समानता की प्रतिबद्धताओं को पूरा करने की कटिबद्धता जताई। इस तथ्य को याद दिलाने के लिए कि अब तक किसी भी देश ने लैंगिक समानता को प्राप्त नहीं किया है तथा यूएन वीमेन के एजेंडे की सार्वभौमिकता को रेखांकित करते हुए, सभी महाद्वीपों से और सभी आय स्तरों के देशों ने प्रतिनिधित्व किया। इस कार्यक्रम ने यूएन वीमेन की 18 महीने लंबी बीजिंग+20 अभियान की परिणति और 2030 तक प्लेनेट 50-50 प्राप्त करने के लिए देशों को "स्टेप इट अप" करने के प्रयासों को चिह्नित किया। यह न्यूयॉर्क में यूएनजीए के तत्वावधान में संयुक्त राष्ट्र सतत विकास शिखर सम्मेलन के संयोजन से संभव हो सका।

यह यूएन वीमेन के उस उद्देश्य की प्राप्ति थी, जिसके तहत लैंगिक समानता की प्रतिबद्धताओं के क्रियान्वयन की जवाबदेही को सरकार में उच्चतम स्तर पर तय करना था तथा नेताओं को इसके कार्यान्वयन के लिए स्वयं जिम्मेदार बनना था। इसके अलावा, क्षेत्रीय संगठनों, सिविल सोसाइटी, निजी और परोपकारी क्षेत्रों के नेताओं ने भी लैंगिक समानता परियोजना की बहुकार्य प्रकृति का प्रदर्शन करते हुए इस कार्यक्रम में प्रतिबद्धताएं व्यक्त कीं।

नारीवादी विदेश नीति

स्वीडन दुनिया का पहला ऐसा देश बना जिसने नारीवादी विदेश नीति की घोषणा की थी। उसने अपनी सम्पूर्ण विदेश नीति में नारीवादी दृष्टिकोण को अपनाया और उसमें तीन 'आर' को लागू किया- राइट्स, रिप्रजेंटेशन और रिसोर्स।²⁵ इसके बाद से कनाडा, फ्रांस और मैक्सिको भी इस कतार में शामिल हो गए हैं। इन देशों द्वारा घोषित नारीवादी विदेश नीति के कठोर और नरम राजनयिक पहलुओं का तात्पर्य है कि वे अपनी शांति और सुरक्षा, सतत विकास सहयोग, मानवीय सहायता और मानवाधिकारों से संबंधित परामर्श और विकासशील देशों के सहयोगियों के साथ संबंध में जेंडर आधारित दृष्टिकोण रखेंगे।

6 गुण तथा भारत और दक्षिण एशिया के लिए आगे की राह

यूएन वीमेन और संयुक्त राष्ट्र अपने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जीईडब्ल्यूई एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए दक्षिण एशियाई देशों और भारत के साथ सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। आगे बढ़ते हुए, यह अनुशंसा की जाती है कि वे दक्षिण एशियाई और भारतीय विदेश नीति में जीईडब्ल्यूई के एजेंडे को आगे बढ़ाने और यूएन के साथ और उसके भीतर अंतरराष्ट्रीय संबंधों के संचालन में 6 गुणों वाले दृष्टिकोण का पालन करें।

- पीएमओ/ विदेश मंत्रालय/व्यापार और आर्थिक मंत्रालयों के भीतर संस्थागत केंद्र बिंदुओं/इकाइयों की स्थापना करना और उप-क्षेत्रीय, एशियाई, दक्षिण-दक्षिण और उत्तर-दक्षिण सहयोग के हिस्से के रूप में अन्य देशों में उनका समर्थन करना। *स्त्री शक्ति* की सर्वश्रेष्ठ अभिव्यक्ति के तौर पर विदेश नीति संस्थानों, राजनयिक मिशनों और विदेश में महत्वपूर्ण वार्ताओं में महिलाओं का समान प्रतिनिधित्व और नेतृत्व सुनिश्चित करना।
- विदेश नीति में जेंडर मुख्यधारा के लिए समस्त मंत्रालय- समस्त सरकार-समस्त समाज दृष्टिकोण का पालन करना तथा राष्ट्रीय महिलाओं की मशीनरी/मंत्रालयों और महिलाओं के नागरिक समाज संगठनों के साथ घनिष्ठ समन्वय रखना और उनके वैश्विक नेटवर्किंग और आदान-प्रदान का समर्थन करना।
- क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर डेटा, ज्ञान और सर्वोत्तम अभ्यास के हब और नेटवर्क को प्रोत्साहन देना। सामरिक सुरक्षा और विदेश नीति समुदाय, शिक्षाविदों और थिंक टैंकों तथा नारीवादियों के बीच विचारों का परासरण हो।

- तकनीकी रूप से नए क्षेत्रों जैसे कि प्रौद्योगिकी 4.0 और भविष्य की नौकरियों सहित अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जेंडर इक्वैलिटी नॉर्मेटिव कॉम्पेक्ट के उन्नयन और प्रगतिशील क्षेत्रीय एवं वैश्विक मानदंडों में जेंडर मुख्यधारा का बढ़-चढ़कर समर्थन करना।
- जीईडब्ल्यूई के लिए आन्दोलन और वकालत का नेतृत्व और समर्थन करना तथा वैश्विक अभियान का हिस्सा बनना। *बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ* दूसरों के लिए एक उदाहरण है। हीफॉरशी ने भारत में उच्चतम प्रतिबद्धता पाई और उसपर एक डाक टिकट भी जारी किया गया।
- व्यावहारिक, मापने योग्य तथा प्रतिरूपक कार्यक्रमों में अंतर्राष्ट्रीय/द्विपक्षीय सहयोग में निवेश करना और उन्हें बढ़ावा देना। ये कार्यक्रम प्रकाशस्तंभ और प्रदर्शन मॉडल की तरह काम करते हैं, तथा महिलाओं की क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण में निवेश करते हैं। भारत का आईटीईसी (ITEC) - दक्षिण-दक्षिण सहयोग कार्यक्रम भागीदार देशों में महिला सशक्तिकरण का एक साधन बन सकता है।

निष्कर्ष

जैसा कि बीपीए प्लस 25 समीक्षाओं और मूल्यांकन²⁶ ने दिखाया है- हमारे देशों में नारीवादी क्रम को धरातल पर साकार करने की प्रगति अस्वीकार्य रूप से धीमी और असमान है। हमें एक बड़े छलांग की जरूरत है न कि लड़खड़ाते वाले कदमों की। इसके लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्थापित "अंतर्राष्ट्रीय नारीवादी क्रम" और ग्लोबल जेंडर कॉम्पेक्ट पर देशों में जेंडर उत्तरदायी राजनीतिक नेतृत्व और नारीवादी आंदोलन के साथ मिलकर काम करने की जरूरत है। प्लेनेट 50-50 मानवता का सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी मिशन और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का लक्ष्य भी है। इसे प्राथमिकता की भावना और अविलंबिता के साथ संबोधित करने की आवश्यकता है क्योंकि 2030 बस निकट ही है।

केवल जीईडब्ल्यूई के वैश्विक सार्वजनिक हित के द्वारा ही अंतर्राष्ट्रीय समुदाय निरपेक्ष गरीबी, नौकरियों के संकट, पर्यावरणीय क्षरण, हिंसा, संघर्ष और आतंकवाद तथा असंवेदनशील एवं अलोकतांत्रिक शासन की समस्याओं का समाधान पा सकता है। 2030 तक सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सरकारों और लोगों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के एक नए युग में सभी पुरुषों और महिलाओं की पूर्ण और समान भागीदारी की आवश्यकता है।

ग्लोरिया स्टीनम की प्रसिद्ध उक्ति है, "महिलाओं को दुनिया के लायक बनाने के बारे में मत सोचो- दुनिया को महिलाओं के लिए फिट बनाने के बारे में सोचो"²⁷। यही है दुनिया का वो परिवर्तन, सहस्राब्दी पुरानी पितृसत्ता को पलटना और महिलाओं को सशक्त-प्रबल बनाना, और इसे 21वीं सदी के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और कूटनीति में प्रतिबिंबित और समर्थन किया जाना चाहिए।

लक्ष्मी पुरी

संयुक्त राष्ट्र की पूर्व सहायक महासचिव तथा यूएन वीमेन की पूर्व उप कार्यकारी निदेशक; भारत की पूर्व राजदूत

लक्ष्मी पुरी संयुक्त राष्ट्र में पूर्व सहायक महासचिव और यूएन वीमेन की पूर्व उप कार्यकारी निदेशक हैं। वे प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रभाग की निदेशक तथा व्यापार एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की कार्यवाहक उप महासचिव थीं। उन्होंने ओएचआरएलएलएस (OHRLLS) में निदेशक के रूप में चौथे न्यून विकसित देशों के सम्मेलन की तैयारियों का नेतृत्व किया था।

संयुक्त राष्ट्र में 15 साल के कार्यकाल से पहले, उन्होंने 28 साल तक भारतीय राजनयिक के रूप में कार्य किया। लक्ष्मी 1974 में भारतीय विदेश सेवा में शामिल हुईं और उन्होंने जापान, श्रीलंका, स्विट्जरलैंड (जिनेवा) में काम किया तथा हंगरी में राजदूत के रूप में तथा बोस्निया और हर्जगोविना के लिए मान्यता प्राप्त किया है। वे भारत की कई द्विपक्षीय, बहुपक्षीय और बहुधुवीय आर्थिक कूटनीतिक पहल की संकल्पनाओं और वार्ताओं में सक्रिय थीं।

यूएन वीमेन की नेतृत्व टीम में शुरुआत से ही शामिल होने के बाद, उन्होंने यूएन वीमेन को एक गतिशील इकाई, एक शक्तिशाली प्रचार, ज्ञान और साझेदारी हब बनाने तथा लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण के लिए मानक का निर्धारण करने वाले, कार्यक्रम को आगे बढ़ाने वाले केंद्र के तौर पर निर्माण में रणनीतिक रूप से योगदान दिया। 2015 में यूएन वीमेन द्वारा लैंगिक समानता पर आयोजित पहले वैश्विक शिखर सम्मेलन के आयोजन में लक्ष्मी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस समिट में 70 प्रमुख राष्ट्राध्यक्षों और सरकारों ने भाग लिया था और अपनी प्रतिबद्धता ज़ाहिर की थी। उन्होंने वैश्विक प्रभाव वाले हीफॉरशी और प्लैनेट 50/50 जैसे कल्पनाशील आंदोलन अभियानों का भी नेतृत्व किया।

लक्ष्मी पुरी के पास द्विपक्षीय और बहुपक्षीय कूटनीति, अंतर्राष्ट्रीय समझौतों की बातचीत और मानक-निर्धारण में बहुमुखी अनुभव है। वे गरीबी उन्मूलन, खाद्य सुरक्षा और कृषि, जल, ऊर्जा, शहरी विकास, शिक्षा, वस्तुओं व सेवाओं के व्यापार, और वस्तुओं के निवेश एवं बौद्धिक संपदा अधिकार व्यवस्था, प्रवास और शरणार्थियों, जलवायु परिवर्तन और मानवीय कार्रवाई सहित स्थायी विकास के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सार्वजनिक प्रचार के ज़रिये सक्रिय रही हैं। पुरी ने इन क्षेत्रों में प्रकाशनों और थिंक टैंक के तौर पर तथा संपादकीय में योगदान दिया है। अपने पूरे करियर के दौरान, उन्होंने उच्चतम स्तर पर वैश्विक नेताओं, निर्णय निर्माताओं और प्रेरक नेताओं के साथ बातचीत की है। उन्होंने सरकारों, नागरिक समाज, शिक्षाविदों, युवाओं, निजी क्षेत्र और मीडिया के साथ परिवर्तनकारी साझेदारी विकसित की है।

लक्ष्मी को उनके काम और अंतर्राष्ट्रीय विकास, मानवाधिकार, मानवतावादी, शांति और सुरक्षा नीति-निर्माण तथा मानकों के निर्धारण में योगदान के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार और प्रशंसा मिली हैं। इनमें प्रतिष्ठित एलेनोर रूजवेल्ट ह्यूमन राइट्स अवार्ड, सतत विकास लक्ष्य में आगे खड़े रहने के लिए नोवुस अवार्ड, मिलेनियम कैम्पस अवार्ड 2015 और युवाओं के लिए प्रेरक बनने के लिए ग्लोबल जनरेशन अवार्ड शामिल हैं।